

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (आर-624) अलेसे-1/1664-74

दिनांक:- 28/10/22

आदेश

श्री रमेश चन्द्र, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 (लिनक नं0 5003), कार्यालय वित्त (पेंशन) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ने स्वयं के नाम परिवर्तन के लिए राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम-8 के निर्णय संख्या 5 की पालना पूर्ण कर ली है। अतः श्री रमेश चन्द्र, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 (लिनक नं0 5003), कार्यालय वित्त (पेंशन) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर का नाम परिवर्तित कर, "श्री रमेश चन्द्र" के स्थान पर "श्री रमेश चन्द्र आर्य" करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।



(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.2 (क) (आर-624) अलेसे-1/1664-74

दिनांक:- 28/10/22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (पेंशन) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. श्री रमेश चन्द्र आर्य, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय वित्त (पेंशन) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
7. पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/एसीआर शाखा/डीपीसी शाखा/निजी पत्रावली/गार्ड फाइल।



(धीरज सिसोदिया)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)